

TRIPS के 30 वर्ष

प्रलिस के लयः

[वशऱव बौदधकऱ संपदऱ संगठन \(WIPO\)](#), भारत में पेटेंट मानदंड, [राषुट्रीय IPR नीतऱ](#), [TRIPS](#)

मेनुस के लयः

[बौदधकऱ संपदऱ अधकऱरों से संबधतऱ मुदुदे](#), एक मजबूत IPR पऱरसऱथतऱकऱ तंतुर कऱ भूमकऱ और महतुतुव, भारत कऱ वरुतमऱन पऱरदृशुय, TRIPS कऱ महतुव

[सुरतः डबलुडू.टी.ओ.](#)

चरुचऱ में कुरुयों?

हऱल ही में [वशऱव वुयऱपऱर संगठन \(WTO\)](#) के सदसुयों ने [बौदधकऱ संपदऱ अधकऱरों के वुयऱपऱर-संबधतऱ पहलुओं \(TRIPS\)](#) पऱर समझूते कऱ 30वीं वरुषगूँठ मऱनऱई ।

- [मऱरऱकऱस](#) में एक महतुतुव पूरण समझूतऱ कऱयऱ गऱयऱ जसऱके ऱधऱर पऱर 1995 में WTO बनऱयऱ गऱयऱ । TRIPS नऱमक इस समझूते कऱ पुरऱभव लंबे सऱमय तक रहऱ है ।

टुरपऱस समझूते कऱ वकऱसः

- [वेनेशुयऱन पेटेंट कऱनुन \(1474\)](#): यह यूरोप में पहलू संहतऱबदध पेटेंट पुरणऱलू थी, जसऱने ऱवऱषऱकऱरकू को "नऱ और सरल उऱपकरणू" पऱर असुथऱयू ऱकऱधकऱर पुरदऱन कऱयऱ ।
- [ऱुदुयूगकऱ कुरऱंतऱ ऱवं ऱंतरऱरऱषुटुरऱय मऱनकू कऱ ऱवऱशुयकतऱ \(19वीं शतऱबदु\)](#): तीवुर तकनीकऱ पुरगतऱने पेटेंट कऱनुनू के सऱमंजसुय कऱ ऱवऱशुयकतऱ उतुपनुन कऱ ।
 - [पेरसऱ कनुवेंशन \(1883\)](#) अनुय देशू में बौदधकऱ संपदऱ कऱ सुरकषऱ के लऱयऱ उतऱयऱ गऱयऱ पहलऱ कदम थऱ ।
 - [टुरऱफऱ ऱर वुयऱपऱर पऱर सऱमऱनुय समझूतऱ \(General Agreement on Tariffs and Trade- GATT\)](#) ने बौदधकऱ संपदऱ कू सीमतऱ तरऱके से संबधतऱ कऱयऱ ।
 - 1987 से 1994 तक चले [उरुगुवे रऱउंड](#) में मऱरऱकऱस समझूते के पुरणऱमसुवरूप WTO कऱ सुथऱपनऱ हुई, जसऱमें TRIPS समझूतऱ भी शऱमलऱ थऱ ।
 - TRIPS पऱर WTO समझूतऱ बौदधकऱ संपदऱ (IP) पऱर सऱबसे वुयऱपक बहुपकषुय समझूतऱ है ।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

IP/बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व/कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से है।



IPR के लिये आवश्यक हैं

- नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक विकास।
- रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना।
- व्यापार करने में सुलभता बढ़ाना।



संबंधित कन्वेंशन/संधि (भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किये हैं)

- WIPO द्वारा प्रशासित (प्रथमतः मान्यता प्राप्त IPR के अंतर्गत):
 - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन, 1883 (पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन)।
 - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय, 1886 (कॉपीराइट)।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO)- ट्रिप्स समझौता:
 - सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना।
 - विकाशशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रोत्साहित करना।
- बुडापेस्ट अभिसमय, 1977:
 - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
- मर्रिकेश VIP समझौता, 2016:
 - दृष्टिबाधित व्यक्तियों और आँखों से दिव्यांगों (print disabilities) वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- IPR को अनुच्छेद 27 (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) में भी रेखांकित किया गया है।



भारत की पहल और IPR

- राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:
 - आदर्श वाक्य: "क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया"।
 - ट्रिप्स समझौते के अनुरूप।
 - सभी IPR को एक मंच पर लाता है।
 - नोडल विभाग - औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय)।
- राष्ट्रीय (IP) जागरूकता मिशन (NIPAM)
- बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम (KAPILA)

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल

बौद्धिक संपदा	संरक्षण	भारत में कानून	अवधि
कॉपीराइट	विचारों की अभिव्यक्ति	कॉपीराइट अधिनियम 1957	परिवर्तनीय
पेटेंट	आविष्कार- नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि।	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970	सामान्यतः 20 वर्ष
ट्रेडमार्क	व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिये चिह्न	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अनिश्चित काल तक रह सकता है
ट्रेड सीक्रेट	व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता	पंजीकरण के बिना संरक्षित	असीमित समय
भौगोलिक संकेत (GI)	विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हैं	वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	10 वर्ष (नवीकरणीय)
औद्योगिक डिज़ाइन	किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष



अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में TRIPS समझौते की क्या भूमिका रही है?

- IP कानूनों का सामंजस्य: TRIPS ने सदस्य देशों में IP सुरक्षा के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित किये हैं।
 - TRIPS ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में सहयोग के लिये अधिक पूरवानुमानित कानूनी वातावरण तैयार किया।

- **पारदर्शिता में वृद्धि:** TRIPS ने सदस्यों को अपने बौद्धिक संपदा (IP) कानूनों एवं वनियमों को स्पष्ट करने के लिये बाध्य किया, जिससे वैश्विक IP प्रणाली में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा मिला।
- **ज्ञान साझा करना: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** पर TRIPS प्रावधान वकिसति और वकिसशील देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।
 - वकिसति देश कुछ शर्तों के तहत वकिसशील देशों को **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** करने के लिये तंत्र प्रदान करने के लिये बाध्य हैं।
- **सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना:** WTO ने **SDGs** लक्ष्यों के अनुरूप, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिये दायित्वों के साथ अधिकारों को संतुलित करने में TRIPS की भूमिका पर प्रकाश डाला।
 - 1990 के दशक के उत्तरार्ध के संकट के दौरान **एंटीरेट्रोवायरल ट्रीटमेंट** तक पहुँच प्रदान करने के लिये TRIPS का लचीला होना आवश्यक था, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान इसके महत्त्व को दर्शाता है।

TRIPS से संबंधित चुनौतियाँ:

- **अधिकारों और पहुँच के बीच संतुलन:** मज़बूत IP अधिकारों पर TRIPS का ध्यान वकिसशील देशों में आवश्यक दवाओं, शैक्षिक सामग्रियों और कृषि प्रौद्योगिकियों तक पहुँच को सीमित कर सकता है।
- **बायोपाइरेसी और पारंपरिक ज्ञान:** बिना उचित मुआवज़े के वकिसशील देशों से पारंपरिक ज्ञान और **आनुवंशिक संसाधनों का पेटेंट** कराना चिंता उत्पन्न करता है।
 - ऐसा माना जाता है कि पारंपरिक ज्ञान और आनुवंशिक संसाधन उत्पत्तिके प्रकटीकरण पर ट्रिप्स की आवश्यकताएँ अपर्याप्त हैं।
- **प्रवर्तन के मुद्दे:** IP अधिकारों को लागू करना, विशेष रूप से **कॉपीराइट उल्लंघन और जालसाज़ी** जैसे क्षेत्रों में, कई वकिसशील देशों के लिये एक चुनौती बनी हुई है।
 - संसाधनों और मज़बूत कानूनी प्रणालियों की कमी प्रभावी IP सुरक्षा में बाधा बन सकती है।
- **डेटा गोपनीयता:** डेटा स्वामित्व, गोपनीयता, **ई-कॉमर्स** के मुद्दे और **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI)** तथा **बिग डेटा** के संदर्भ में डेटा-संचालित आविष्कारों की पेटेंटबिलिटी को संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय चर्चा की आवश्यकता है।
- **वैश्विक स्वास्थ्य समानता:** TRIPS समझौते के भीतर अनिवार्य लाइसेंसिंग जैसे लचीलापन पर चल रही बहस के बीच, सस्ती दवाओं तक पहुँच अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, खासकर वैश्विक दक्षिण में।

आगे की राह

- **मानकीकरण और क्षमता निर्माण:** वकिसशील देशों के लिये **क्षमता निर्माण की नई पहल** के साथ-साथ देशों में IP प्रवर्तन के लिये **सामान्य मानकों** तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास, एक नष्टिपक्ष वैश्विक IP परदृश्य बना सकता है।
- **ओपन इनोवेशन और नॉलेज शेयरिंग:** ओपन-सोर्स कोलैबोरेशन और **करिंटिवि कॉमन्स लाइसेंस** जैसे मॉडल की खोज ज्ञान की पहुँच सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा दे सकती है।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों** को संबोधित करना: **IP स्वामित्व** और **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित अधिकारों के लिये **स्पष्ट दिशानिर्देश** स्थापित करना ज़रिमिेदार नवाचार को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकारों, व्यापार और विकास पर ट्रिप्स समझौते के विकास एवं प्रभाव पर चर्चा कीजिये। ट्रिप्स ने विशेष रूप से वकिसशील अर्थव्यवस्थाओं में दवाओं तक पहुँच, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित किया है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी) के संदर्भमें, निम्नलिखित कथनों पर वचिार कीजिये : (2017)

1. यह दोहा विकास एजेंडा और TRIPS समझौते के प्रतभारत की प्रतबिद्धता को दोहराता है।
2. औद्योगिक नीति और संवर्द्धन वभिग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के वनियमन के लिये, केन्द्रीय अभकिरण (नोडल एजेंसी) है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न.2 नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

1. भारतीय पेटेंट अधनियिम के अनुसार, कसिी बीज को बनाने की जेव प्रक्रयिा को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है ।
2. भारत में कोई बौद्धकि संपदा अपील बोर्ड नहीं है ।
3. पादप कसिमें भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं ।

उपरयुक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. वैशवीकृत संसार में, बौद्धकि संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकद्दमेबाज़ी का एक स्रोत हो जाते हैं । कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तयिों के बीच मोटे तौर पर वभिदन कीजयि । (2014)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/30-years-of-trips>

